

- १-क्या शहर में रिहायशी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाया जा सकता है ।
२. टावर पर लगे विभिन्न सेल्युलर कंपनीयो के apparatus की electro megnatic waves की frequancy कितनी होती है, व एक टावर पर कितनी कंपनी के apparatus लगाए जा सकते हैं ।
३. सेल्युलर फ्रीक्वेंसी से किसी भी व्यक्ति विशेष को होने वाले बाहरी व अंदरनी शारीरिक व मानसिक नुकसान का विवरण मय विवरणी प्रतिलिपि देने की कृपा करे ।
४. क्या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर अधिक सख्या में जनता एकत्रित होती है, (अस्पताल, बारातघर) इत्यादि पर सेल्युलर टावर लगाया जा सकता है ।
५. यदि उपरोक्त सार्वजनिक स्थान पर टावर लगाया जा सकता है तो इसकी अनुमति किस अधिकारी, संस्थान, द्वारा दी जाती है व क्या मानक है प्रतिलिपि संलग्न करे ।
६. यदि उपरोक्त सख्या ५ के अनुसार टावर लगाया जाता है और वह किसी कारण गिर जाता है तो टावर के गिरने या अन्य किसी संबंधित कारण से होने वाले सम्पूर्ण नुकसान का उत्तरदायी कोन होगा ।
७. यदि सार्वजनिक स्थान पर टावर नहीं लगाया जाता है तो टावर रिहायशी व उपरोक्त संस्थान इत्यादि से कितनी दूरी पर गाया जा सकता हे
८. यदि कोई मापदण्डो के विरुद गलत तरीके से टावर लगाता है तो अविलम्ब कार्यवाही के लिए किस व्यक्ति/संस्थान/अधिकारी से सम्पर्क करना होगा !